

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 27.10.2022**

**लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना परसपुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त-ननके यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना परसपुर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना परसपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. ननके यादव पुत्र रामराज निवासी दुरौंनी कस्बा परसपुर थाना परसपुर गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु०अ०सं०-198/2022 धारा 363,366,376 आईपीसी 3/4 पाक्सो एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

उ०नि० चन्द्रसेन वर्मा मय टीम।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 27.10.2022**

**अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त रामकरन उर्फ बिहारी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना धानेपुर में एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. रामकरन उर्फ बिहारी पुत्र भोला पत्थरकट्ट निवासी ग्राम रामचरन पुरवा मौजा पूरे तेन्दुआ थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-265/22, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 1.7 किलोग्राम अवैध गांजा।

**गिरफ्तार कर्ता-**

उ0नि0 रुदल प्रसाद दूबे मय टीमा

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 27.10.2022**

**थाना नवाबगंज पुलिस ने चोरी करने के अभियुक्त को चोरी के माल के साथ किया गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना नवाबगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मु0अ0स0 295/21 धारा 457, 380, भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सुनील कुमार को गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्तों ने वादी दौलत राम निषाद के घर से चोरी की थी। जिसके संबंध में थाना नवाबगंज में अभियोग पंजीकृत था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. सुनील कुमार पुत्र राम धीरज उर्फ राम तीरथ निवासी ग्राम हतवा मौजा नवाबगंज गिर्द थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा

**पंजीकृत अभियोग:-**

01. मु0अ0सं0-295/21, धारा 457,379,411 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

**बरामदगी**

01. चोरी की 01 जोड़ी पायल(सफेद धातु)

**गिरफ्तार कर्ता टीम:-**

उ0नि0 विवेक वर्मा मय टीम।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 27.10.2022**

**थाना कोतवाली नगर पुलिस ने अवैध गांजा व अवैध तमंचे के साथ 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अवैध शस्त्र/कारतूस रखने वालों एवं इनका क्रय-विक्रय करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कोनगर पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 01. रितेश सिंह के कब्जे से 1.9 किलोग्राम अवैध गांजा व 02. आशुतोष पाठक के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 312 बोर मय 01 अदद कारतूस, व स्विफ्ट डिजायर गाड़ी बरामद किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध कोनगर में एनडीपीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. रितेश सिंह पुत्र सुखदेव सिंह निवासी चौहानपुरवा पोस्ट निलवी कला थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
02. आशुतोष पाठक पुत्र कुंवर बहादुर पाठक निवासी डेहरास, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0- 764/22, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0- 765/22, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोनगर जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 1.9 किलोग्राम अवैध गांजा।
02. 01 अदद अवैध देशी तमंचा 312 बोर मय 02 अदद कारतूस।
03. 01 अदद स्विफ्ट डिजायर रजिस्ट्रेशन न0- UP32KQ7070

**गिरफ्तारकर्ता टीम-**

01. प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार सिंह कोतवाली नगर मय टीम
02. उ0नि0 रजनीश द्विवेदी कोतवाली नगर मय टीम।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 27.10.2022**

**अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अवैध शस्त्र/कारतूस रखने वालो एवं इनका क्रय-विक्रय करने वालो के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौडिया पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त सन्त प्रकाश यादव को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 03 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौडिया में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. सन्त प्रकाश यादव पुत्र जानकी प्रसाद यादव निवासी चयपुरवा थाना कौडिया जनपद गोण्डा

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0- 264/22, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 03 अदद जिंदा कारतूस।

**गिरफ्तारकर्ता टीम-**

01. उ0नि0 सत्येन्द्र कुमार यादव मय टीम।